फा.सं.38/37/08-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (ए)भाग-I

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोक नायक भवन, नई दिल्ली-110003

दिनांक 3 अक्तूबर, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय : छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशो पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन- 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों इत्यादि की पेंशन का संशोधन

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के अनुसरण में इस विभाग के दिनांक 1.9.2008 के का.ज्ञा. सं. 38/37/08-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (ए) में निर्दिष्ट तरीके से 2006 से पहले के सभी पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का 1.1.2006 से विनियमन के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की गई थी । इस विभाग को उपर्युक्त का.ज्ञा. के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए अनेक संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं । इस मामले पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के परामर्श से विचार किया गया है और दिनांक 1.9.2008 के उपर्युक्त का.ज्ञा. के संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण/संशोधन किए जाते हैं :

दिनांक 1.9.2008 के का.ज्ञा.सं. 38/37/08-पी.एंड पी.डब्ल्यू (ए) में प्रावधान	स्पष्टीकरण/संशोधन
3.1 इन आदेशों में: क. वर्तमान पेंशनभोगी या वर्तमान कुटुम्ब पेंशनभोगी का अर्थ है ऐसा पेंशनभोगी जो 31.12.2005 को पेंशन/कुटुम्ब पेंशन आहरित कर रहा था/हकदार था । ख. वर्तमान पेंशन का अर्थ है 31.12.2005 को देय मूल पेंशन जिसमें संराशिकरण भाग, यदि कोई हो, शामिल है । इसमें सी.सी.एस.	'वर्तमान पेंशनभोगी या वर्तमान कुटुम्ब पेंशनभोगी में ऐसा पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी' शामिल होगा जो 31.12.2005 को सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु के परिणामस्वरूप 1.1.2006 से पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का हकदार था । इसी प्रकार 'वर्तमान पेंशन या वर्तमान कुटुम्ब पेंशन' में वह पेंशन/कुटुम्ब पेंशन शामिल होगी जो 31.12.2005 को सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु के परिणामस्वरूप 1.1.2006 से देय हुई ।

(पेंशन) नियमावली, 1972 तथा सी.सी.एस. (असाधारण पेंशन) नियमावली और रेलवे कर्मचारियों तथा भारतीय सेवाओं के सदस्यों के संबंध में लागू तदनुरूप नियमों के अन्तर्गत पेंशन की सभी श्रेणियाँ सम्मिलित हैं । ग. वर्तमान कुटुम्ब पेंशन का अर्थ है सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली और रेलवे कर्मचारियों तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के संबंध में लागू तदनुरूप नियमों के अन्तर्गत आहरित मूल कुटुम्ब पेंशन	
4.2 पेंशन का निर्धारण, प्रावधान के अधीन होगा अर्थात संशोधित पेंशन, संशोधन-पूर्व वेतनमान जिससे पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ था के तदनुरूप वेतन बैंड और उस पर ग्रेड वेतन में वेतन की न्यूनतम राशि के 50 प्रतिशत से किसी भी मामले में कम नहीं होगी ।	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को मिलाकर वेतन के न्यूनतम के 50 प्रतिशत पर गणित पेंशन की गणना (i) वेतन बैंड (संशोधन-पूर्व वेतनमान पर ध्यान दिए बिना) में वेतन के न्यूनतम पर और संशोधन-पूर्व वेतमान के तदनुरूप ग्रेड वेतन को मिलाकर की जाएगी । उदाहरणार्थ, यदि कोई पेंशनभोगी 18400-22400 रूपए के संशोधन-पूर्व वेतनमान में सेवानिवृत्त हुआ था तो तदनुरूप वेतन बैंड 37400-67000 रूपए तथा ग्रेड वेतन 10,000/-रूपए प्रतिमाह होने पर उसकी न्यूनतम प्रत्याभूत पेंशन 37,400 रूपए+10000 रूपए की 50% होगी (अर्थात 23,700 रूपए) । संशोधन-पूर्व वेतनमानों की तदनुरूप न्यूनतम पेंशन दर्शाने वाला विवरण अनुबंध पर संलग्न है । जहां पेंशनभागी ने 01.01.2006 को लागू सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 49 के अनुसार पूर्ण पेंशन के लिए अधिकतम अपेक्षित सेवा से कम सेवा की हो, पेंशन यथानुपात कम कर दी जाएगी और किसी भी मामले में यह 3500/-रूपए प्रतिमाह से कम नहीं होगी ।

से कम तक	पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का 20%	हो जाती है, तो वह 1.8.2008 को अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का हकदार होगा । वे पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेशनभोगी भी जिनकी जन्मतिथि 1 अगस्त है, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त करने पर 1.8.2008 से अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के हकदार होंगे ।
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष से कम तक	संशोधित मूल पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का 30%	
90 वर्ष से अधिक परन्तु 95	संशोधित मूल पेंशन/कुटुम्ब	

वर्ष से कम तक — पेंशन का 40% 95 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष से कम तक — संशोधित मूल पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का 50% 100 वर्ष या इससे अधिक — संशोधित मूल पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का 100%	(ii) पुराने पेंशनभोगियों को उपलब्ध पेंशन की अतिरिक्त मात्रा पर महंगाई राहत भी समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार स्वीकार्य होगी
4.7 वर्तमान पेंशनभोगी जो 31.3.1985 और 31.12.1985 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे, वैयक्तिक पेंशन ले रहे हैं । उपर्युक्त वैयक्तिक पेंशन को एक अलग भाग के रूप में दिया जाना जारी रहेगा तथा उसे उपर्युक्त समेकित पेंशन में नहीं मिलाया जाएगा ।	वैयक्तिक पेंशन दिनांक 21.9.2000 के का.ज्ञा.सं. 45/86/97-पी.एंड पी.डब्ल्यू (ए) (भाग iv) द्वारा बंद कर दी गई थी । अतः यह पैरा हटा दिया गया माना जाए ।
5.1 जहां उपर्युक्त पैरा 4 के अनुसार समेकित पेंशन/कुटुम्ब पेंशन 3500/- रूपए से कम होती है, बढ़कर 3500/- रूपए हो जाएगी । इसे 1.1.2006 से पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के रूप में माना जाएगा । ऐसे पेंशनभोगियों के मामले में जो एक से अधिक पेंशन ले रहे हैं । 3500/-रूपए की न्यूनतम सीमा, साथ-साथ ली जाने वाली सभी पेंशनों को मिलाकर उनकी कुल राशि पर लागू होगी ।	पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 23.4.2003 के का.ज्ञा.सं. 38/38/02 -पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (ए) (भाग iv) में यह स्पष्ट किया गया था कि सिविल और सेना पेंशन के संबंध में साथ-साथ ली जाने वाली दो पेंशनों पर न्यूनतम सीमा लागू नहीं होगी और व्यक्तिगत पेंशनें संबंधित पेंशन नियमों द्वारा शास्ति होंगी । ये अनुदेश 3500/-रूपए प्रतिमाह की न्यूनतम सीमा के संदर्भ में लागू रहेंगी । तदनुसार, 3500/-रूपए की न्यूनतम सीमा सिविल और सेना पेंशन के संबंध में व्यक्तिगत रूप से लागू होंगी । यदि कोई व्यक्ति पेंशन के साथ-साथ कुटुम्ब पेंशन भी ले रहा है, तो 3500/-रूपए की न्यूनतम सीमा, उस पेंशन और कुटुम्ब पेंशन के संबंध में व्यक्तिकत रूप से लागू होगी । (पैरा 5.1 को इस सीमा तक संशोधित माना जाएगा)
5.2 जहां सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत असमर्थ पेंशन के अतिरिक्त, सी. सी. एस.(ई. ओ .पी.) नियमावली के अन्तर्गत अशक्तता पेंशन	पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 7.8.2001 के का.ज्ञा.सं. 45/86/87-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू(ए) में यह स्पष्ट किया गया था कि अशक्तता पेंशन और असमर्थ पेंशन

आहरित की जा रही हो, पैरा 5.1 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार 3500/-रूपए की न्यूनतम सीमा दो पेंशनों के कुल योग पर लागू होगी । जहां अशक्तता पेंशन एकाकी रूप में आहरित की जा रही हो, 3500/-रूपए की न्यूनतम सीमा 100% अशक्तता पर लागू होगी । अशक्तता की कमतर मात्रा के लिए न्यूनतम सीमा यथानुपात कम होगी	को भिन्न पेंशनों के रूप में माना जाए । असमर्थ पेंशन को कतिपय न्यूनतम राशि* के अधीन सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली के अनुसार विनियमित किया जाना जारी रखा जाए तथा असाधारण अशक्तता पेंशन को एक अलग भाग के रूप में जारी रखा जाए और इसे अशक्तता की मात्रा के अनुसार नियत किया जाना चाहिए । यह अतिरिक्त शर्त के अधीन होगा अर्थात् अशक्तता पेंशन और असमर्थ पेंशन की राशि किसी भी मामले में आहरित अंतिम वेतन से अधिक नहीं होनी चाहिए । ये अनुदेश 3500/-रूपए प्रतिमाह की संशोधित न्यूनतम पेंशन के संदर्भ में लागू रहेगी । पैरा 5.2 को इस सीमा तक संशोधित माना जाएगा । (*कतिपय न्यूनतम राशि, सी.सी.एस.(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 49(2) (ग) के प्रावधानों के अनुसार गणित राशि के संदर्भ में है)
6. नियोजित/पुन: नियोजित पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी वर्तमान आदेशों के तहत इस समय महंगाई राहत नहीं ले रहे हैं । उनके मामले में नोशनल मंहगाई राहत को, जो उन्हें स्वीकार्य रही होगी परन्तू उनके नियोजन/पुन:नियोजन के कारण उपर्युक्त पैरा 4.1 के अनुसार पेंशन के समेकन के संबंध में ध्यान में रखा जाएगा जैसे कि वे महंगाई राहत आहरित कर रहे थे । उनका वेतन उन्हें स्वीकार्य होने वाली समेकित पेंशन के संदर्भ में 1.1.2006 से पुन: नियत होगा । तथापि 1.1.2006 से आगे नियोजन/पुन:नियोजन की अवधि के दौरान उन्हें महंगाई राहत स्वीकार्य नहीं होगी ।	पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 2.7.1999 के का.ज्ञा.सं. 45/73/97-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (जी) द्वारा, महंगाई राहत के विनियमन के संबंध में, जब पुन: नियोजन पर वेतन, पूर्ण पेंशन को ध्यान में न रखते हुए न्यूनतम पर नियत किया जाता है तथा साथ ही नियोजित कुटुम्ब पेंशनभोगियों की महंगाई राहत के विनियमन के संबंध में अनुदेश जारी किए गए हैं । ये आदेश छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर संशोधित पेंशन के संदर्भ में लागू रहेंगे । पैरा 6 को इस सीमा तक संशोधित माना जाएगा ।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों पर इस आशय का जोर दिया जाता है कि पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के संशोधन संबंधी मामलों का निपटारा करते समय उपर्युक्त स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखा जाए ।

उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि उनके द्वारा पेंशनभोगियों से उपर्युक्त मसलों पर प्राप्त किए गए अभ्यावेदनों का निपटारा, उन्हें इस विभाग को संदर्भित किए बिना ही कर दिया जाए ।

3. यह वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की आई.सी.यू.ओ.नं. 42/23/2008-आई.सी. दिनांक 30.09.2008 द्वारा उनकी सहमति से जारी किया जाता है ।

(एम.पी. सिंह)
निदेशक (पी.पी.)
टेलीफैक्स नं. 24624802

सेवा में
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

<u>अनुबंध</u>

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार समूह 'क' 'ख' 'ग' तथा 'घ' में वर्तमान वेतनमान वाले पदों के संशोधित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन पर आधारित संशोधित पेंशन

(सी.सी.एस.(संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की पहली अनुसूची, भाग-क, धारा-I, (नियम 3 और 4) पर आधारित)

(पेंशन ओर पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 1.9.2008 के का.ज्ञा.सं. 38/37/08-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (ए) का पैरा 4.2 देखें)

क्र. सं.	पद/ग्रेड	5वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमान	वेतन बैंड/वेतनमान का नाम	छठे सी.पी.सी. के तदनुरूप वेतन बैंड/वेतनमान	तदनुरूप ग्रेड वेतन	पेंशन* =पी.बी. + जी.पी. /वेतन मानों की न्यूनतम राशि का 50%	कुटुम्ब पेंशन**= पी.बी.+जी.पी./वेतन मानों की न्यूनतम राशि का 30%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	एस-1	2550-55-2660-60-3200	-1 एस	4440-7440	1300	3500	3500
2	एस-2	2610-60-3150-65-3540	-1 एस	4440-7440	1400	3500	3500
3	एस-2 ए	2610-60-2910-65-3300-70-4000	-1 एस	4440-7440	1600	3500	3500
4	एस-3	2650-65-3300-70-4000	-1 एस	4440-7440	1650	3500	3500
5	एस-4	2750-70-3800-75-4400	पी.बैंड-1	5200-20200	1800	3500	3500
6	एस-5	3050-75-3950-80-4590	पी.बैंड-1	5200-20200	1900	3550	3500
7	एस-6	3200-85-4900	पी.बैंड-1	5200-20200	2000	3600	3500
8	एस-7	4000-100-6000	पी.बैंड-1	5200-20200	2400	3800	3500
9	एस-8	4500-125-7000	पी.बैंड-1	5200-20200	2800	4000	3500
10	एस-9	5500-150-8000	पी.बैंड-2	9300-34800	4200	6750	4050
11	एस-10	5500-175-9000	पी.बैंड-2	9300-34800	4200	6750	4050
12	एस-11	6500-200-6900	पी.बैंड-2	9300-34800	4200	6750	4050

13	एस-12	6500-200-10500	पी.बैंड-2	9300-34800	4200	6750	4050
14	एस-13	7450-225-11500	पी.बैंड-2	9300-34800	4600	6950	4170
15	एस-14	7500-250-12000	पी.बैंड-2	9300-34800	4800	7050	4230
16	एस-15	8000-275-13500	पी.बैंड-2	9300-34800	5400	7350	4410
17	नया वेतन	8000-275-13500(ग्रुप ए एंट्री)	पी.बैंड-3	15600-39100	5400	10500	6300
18	एस-16	9000	पी.बैंड-3	15600-39100	5400	10500	6300
19	एस-17	9000-275-9550	पी.बैंड-3	15600-39100	5400	10500	6300
20	एस-18	10325-325-10975	पी.बैंड-3	15600-39100	6600	11100	6660
21	एस-19	10000-325-15200	पी.बैंड-3	15600-39100	6600	11100	6660
22	एस-20	10650-325-15850	पी.बैंड-3	15600-39100	6600	11100	6660
23	एस-21	12000-375-16500	पी.बैंड-3	15600-39100	7600	11600	6960
24	एस-22	12750-375-16500	पी.बैंड-3	15600-39100	7600	11600	6960
25	एस-23	12000-375-18000	पी.बैंड-3	15600-39100	7600	11600	6960
26	एस-24	14300-400-18300	पी.बैंड-4	37400-67000	8700	23050	13830
27	एस-25	15100-400-18300	पी.बैंड-4	37400-67000	8700	23050	13830
28	एस-26	16400-450-20000	पी.बैंड-4	37400-67000	8900	23150	13890
29	एस-27	16400-450-20900	पी.बैंड-4	37400-67000	8900	23150	13890
30	एस-28	14300-450-22400	पी.बैंड-4	37400-67000	10000	23700	14220
31	एस-29	18400-500-22400	पी.बैंड-4	37400-67000	10000	23700	14220
32	एस-30	22400-525-24500	पी.बैंड-4	37400-67000	12000	24700	14820
33	एस-31	22400-600-26000	एच.ए.जी.+ स्केल	75500-80000	शून्य	37750	22650
34	एस-32	24050-650-26000	एच.ए.जी.+ स्केल	75500-80000	शून्य	37750	22650
35	एस-33	26000(नियत)	ए.पी.ई.एक्स स्केल	80000(नियत)	शून्य	40000	24000
36	एस-34	30000(नियत)	सी.ए.बी. एस.ई.सी.	90000(नियत)	शून्य	45000	27000

*टिप्पणी-I : का.ज्ञा. सं. 38/37/08-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (ए) दिनांक 1.9.2008 के पैरा 4.2 के अनुसार उन पेंशनभोगियों की संशोधित पेंशन जो 1.1.2006 से पहले अधिकतम अपेक्षित अर्हक सेवा (अर्थात 33 वर्ष) पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुए संशोधित पेंशन उपर्युक्त कालम 7 में निर्दिष्ट पेंशन से कम नहीं हो सकती है (अर्थात पेंशनभोगियों की सेवानिवृत्ति के समय उनके वेतनमान के तदनुरूप वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान की न्यूनतम राशि का 50%) । उपर्युक्त कालम 7 में पेंशन को यथानुपात कम कर दिया जाएगा जहां पेंशनभोगी की सेवा 1.1.2006 को लागू सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के अनुसार पूर्ण पेंशन के लिए अधिकतम अपेक्षित अर्हक सेवा (अर्थात् 33 वर्ष) से कम हो तथा यह किसी भी मामले में 3500/-रूपए प्रतिमाह से कम नहीं होगी । यदि उपर्युक्त का.ज्ञा. के पैरा 4.1 के अनुसार

समेकित पेंशन उपर्युक्त तरीके से गणित पेंशन से उच्चतर हो जाती है तो उसे (उच्चतर पेंशन) को मूल पेंशन माना जाएगा ।

** टिप्पणी-2 : उन पेंशनभोगियों, जो 1.1.2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए और उन सरकारी सेवको, जिनकी 1.1.2006 से पहले मृत्यु हुई, के संबंध में संशोधित कुटुम्ब पेंशन, उपर्युक्त कॉलम 8 में निर्दिष्ट पेंशन से कम नहीं हो सकती है (अर्थात् पेंशनभोगियों की सेवानिवृति के समय उनके वेतनमान के तदनुरूप वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान की न्यूनतम राशि का 30%) । यदि उपर्युक्त का.ज्ञा. के पैरा 4.1 के अनुसार समेकित कुटुम्ब पेंशन उपर्युक्त कॉलम 8 में निर्दिष्ट कुटुम्ब पेंशन से उच्चतर होती है तो वह (उच्चतर कुटुम्ब पेंशन) मूल कुटुम्ब पेंशन के रूप में मानी जाएगी ।